

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० कानपुर द्वारा शिवराजपुर-बिन्दकी-ललौली मार्ग, (एम.डी.आर. सं०-15) के किमी० नं० -28, (चैनेज नं०- 27.925) ग्राम-कटरा नरैचा, तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर की गाटा संख्या 48 व 49 पर नये रिटेल आउटलेट के निर्माण हेतु पहुच मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.20264 हे० संरक्षित वन भूमि के स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत खागा रेंज में बुदवन वन ब्लाक में अवनत वन भूमि का चयन किया गया है। जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। वन भूमि सभी व्यवधानों एवं अतिक्रमण से मुक्त है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज-खागा


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर